ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

करण सख्या :21/2016

01. लक्ष्मीचंद पुत्र
02. मोहनलाल पुत्र
03. धनश्याम पुत्र
04. रमेशचंद पुत्र
05. जगदीश पुत्र
06. बद्रीबाई पुत्री

कल्याण जातियान तेली निवासीगण सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

.....प्रार्थी

बनाम

01. हंसराज पुत्र चतरा जाति तेली निवासी खुराड हाल निवास जगन्नाथपुरा तहसील लाडपुरा जिला बारां
02. कान्तिबाई बेवा रामकिशन जाति तेली निवासी खुराड हाल निवास जगन्नाथपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
03. अमललाल पुत्र रामकिशन जाति तेली निवासी खुराड हाल निवास जगन्नाथपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
04. कंचनबाई पुत्री रामकिशन पत्नी धनराज जाति तेली निवासी कच्ची बस्ती बल्लभबाडी कोटा जिला कोटा
05. ममता पुत्री रामकिशन पत्नी नवीन राठौर जाति तेली निवासी पंचमुखी चौराहा रामफूल होटल के सामने प्रेमनगर तृतिया कोटा जिला कोटा
06. पारवती पुत्री रामकिशन पत्नी रामबिलास जाति तेली निवासी दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
07. धनकंवर पुत्री राकिशन पत्नी विष्णु जाति तेली निवासी काली तलाई के पास काप्रेन तहसील केशोराय पाटन जिला बून्दी
08. जिला कलक्टर महोदय बारां जिला बारां
09. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री दया कृष्ण धाकड

वकील अप्रार्थीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 10.05.2016 निर्णय दिनांक : 07.12.2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण बिन्दुवार निम्न प्रकार है:—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

ह कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की आराजी नया खाता संख्या 90 हाल खसरा नं0 4957 रकबा 1.67 हे0, खसरा नं0 4997 रकबा 1.57 हे0, खसरा नं० 5000 रकबा 0.90 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.14 हे0 आराजी ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0) में स्थित है जिसे प्रार्थना–पत्र में विवादित कहा जावेगा।

2. यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 ता 7 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:–

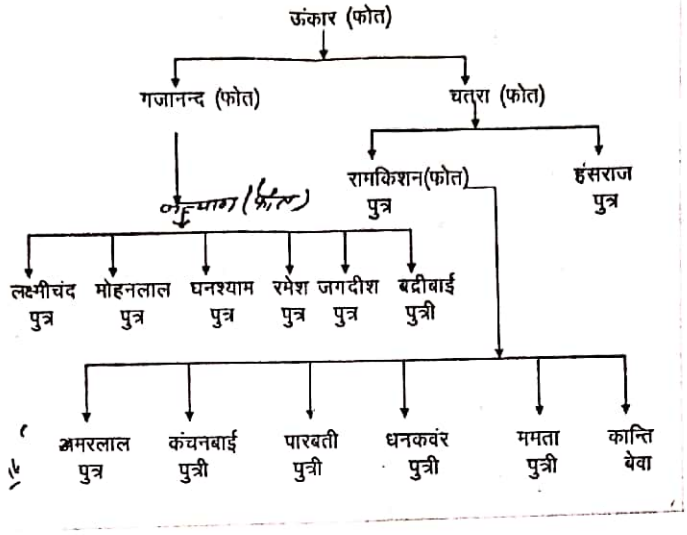

3. पारिवारिक सजरे से स्पष्ट है कि ऊंकार के 2 पुत्र थे जो गजानन्द व चतरा थे, चतरा को उनके पिता (ऊंकार) व माता–पिता द्वारा राजी खुशी से सम्मत् 1989 को चतरा के काका रामचन्द्र जो ग्राम खुराड़ जिला कोटा राज0 में निवास करते थे के यहां गोद रख दिया था उस समय चतरा जी बाल्यावस्था में थे जिसकी एक तहरीर गोद जाने के पश्चात ग्राम सीसवाली में सावन बुदि 2 सम्मत 2003 में समक्ष गवाहान के सामने लिखवाई एवं सम्पूर्ण जीवन अवस्था में कभी भी ग्राम सीसवाली की आराजी में हिस्सा नही मांगा साथ तहरीर में भी आगे चलकर चतरा जी द्वारा लिखाई गई जिसमें ग्राम खुराड़ की आराजी पर सुई से लेकर धागा तक का अधिकार दिया गया एवं स्वयं की इच्छा के अनुसार ग्राम सीसवाली की आराजी में हिस्सा छोड कर ग्राम खुराड की चल एवं अचल सम्पत्ति में हिस्सा ग्रहण किया गया था।

4. यह कि प्रार्थीगण अपनी पेतृक सम्पत्ति ग्राम सीसवाली की आराजी पर अपने दादा के समय से ही बिना किसी व्यवधान के काबिज काश्त है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी कम 1 के पिता व अप्रार्थी 2 ता 7 पति / पिता व दादा ने कभी काश्त नही की एवं सम्मत 1989 में ग्राम खुराड जिला कोटा राज. में अपने चाचा के यहा गोद चला गया एवं अपने चाचा रामचंद्र की चल व अचल सम्पत्ति का उपयोग व उपभोग करने लग गये। अप्रार्थी क्रम 1 के पिता एवं अप्रार्थी कम 2 के पति व अप्रार्थी कम 3 ता 7 के दादा ने अपने हिस्से की मांग अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में नही की। लगभग 15 वर्ष पूर्व अप्रार्थी कम 1 के पिता व अप्रार्थी कम 2 के ससुर व अप्रार्थी कम 3 ता 7 के दादा का स्वर्गवास ग्राम जगन्नाथुपरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में हुआ था।

5. यह कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी पर अप्रार्थी कम 1 ता 7 के द्वारा तथ्यो को छुपाकर विवादित आराजी में अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा लिया एवं अपने

Scanned by CamScanner

हिस्से की आराजी को पृथक करवाने हेतु न्यायालय मांगरोल में वाद पेश करने पर प्रार्थीगणो का जानकारी हुई एवं अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी एवं अप्रार्थीगण द्वारा पेश वाद में वादीगण द्वारा चतरा के गोद चले जाने के दस्तावेज उपलब्ध करवाने पर अप्रार्थी कम 1 ता 7 द्वारा अपना वाद अदम हाजरी व पेरवी में खारीज करवा लिया एवं प्रार्थीगण से अपन नाम विवादित आराजी से तर्क करवाने का आश्वासन दिया। प्रार्थीगण पारिवारिक सदस्य होने के नाते अप्रार्थी कम 1 ता 7 की बातों पर विश्वास करते रहे एवं जब भी प्रार्थीगण को अप्रार्थी कम 1 समारोह या अन्य जगह मिलते अपना नाम विवादित आराजी ता 7 पारिवारिक से तर्क करवाने की कहते रहे । उनके द्वारा अपने नाम विवादित आराजी से तर्क करवाने में कभी मना नही किया गया।

6. यह कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी का बाजार भाव बढ़ जाने से अप्रार्थी कम 1 ता 7 के मन में बदनियति आ जाने से गलत तरीको से अपने नाम इन्द्राज होने से बेचान करने को आमदा हो गये है। दिनांक 02.05.2016 को अप्रार्थी कम 1 कोटा से दलाल लेकर विवादित आराजी में अप्रार्थी कम 1 ता 7 के नाम की आराजी को बेचान के लिए दिखाने ग्राम सीसवाली आये एवं प्रार्थीगणों को इसकी जानकारी उसी दिन होने से शाम को प्रार्थी कम 5 द्वारा ग्राम सीसवाली में अप्रार्थी कम 1 से बात की गई जिस पर अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रार्थी से गालीगलोच की गई एवं कहा कि दिखाने आया था अब बेचान करके रहूंगा तुम जो चाहो कर लेना हमें रुपयों की आवश्यकता है तुम लोग दे दो।
7. यह कि प्रार्थीगण विवादित आराजी पर अपने दादा के समय से काबिज काश्त है एवं अप्रार्थीगण के पिता दादा ग्राम खुराड़ गोद चले जाने से अप्रार्थी कम 1 ता 7 की हिस्सा आराजी सम्पूर्ण पर अप्रार्थीगण खातेदार घोषित होने के कानुनी अधिकारी है। आराजी खाता संख्या नया 90 ग्राम सीसवाली से प्रतिवादी कम 1 ता 7 के नाम खाते से खारीजकरावकर सम्पूर्ण आराजी स्वयं के खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है।
8. यह कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी पर अप्रार्थीगण के पिता व दादा गोद चले जाने से विवादित आराजी पर अप्रार्थी कम 1 ता 7 को कोई अधिकार उत्पन्न नही होने से गलत तरीको से विवादित आराजी पर अप्रार्थी कम 1 ता 7 का नाम इन्द्राज होने से प्रार्थीगण सम्पूर्ण आराजी पर खातेदार घोषित होने के कानूनी अधिकारी है। साथ ही विवादित आराजी से अप्रार्थी कम 1 ता 7 का नाम खाते से हटवाने के कानूनी अधिकारी है।
9. यह कि अप्रार्थी कम 1 ता 7 वर्तमान में खाते में अपना नाम दर्ज होने का गलत फायदा उठाने की नियत से आराजी को रहन बेचान करने को तेयार है इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अप्रार्थीगण के खिलाफ ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय से प्राप्त कर आराजी को रहन बेचान न करने के लिए पाबन्द करवाये जिसके प्रार्थीगण कानूनन अधिकारी हैं।
10. यह कि प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यो पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि प्रार्थीगण अपने पिता के समय से विवादित आराजी पर काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है अगर अप्रार्थीगण अपने मंसूबो में कामयाब होकर प्रार्थीगण को उपरोक्त आराजी से बेदखल करने व रहन बेचान करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की आराजी से महरूम होना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में की जाना संभव नही होगी इसलिए अप्रार्थीगण को जये अस्थायी पाबन्द किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।
11. यह कि अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जाऐगे।

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद अस्थायी आज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह आराजी नया खाता संख्या 90 हाल खसरा नं0 4957 रकबा 1.67 हे0, खसरा नं0 4997 रकबा 1.57 हे0, खसरा नं0 5000 रकबा 0.90 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.14 हे० आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलान्दाजी न करें। आराजी को रहन बेचान न तो स्वयं करें ना ही ऐसा अपने प्रतिनिधी से करावे ।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 25.04.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण कम 1 ता 7 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण कम 1 ता 7 की ओर से जवाबा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका बिन्दुवार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

1. यह कि प्रार्थना पत्र कि मद नं0 1 आशिक स्वीकार है। अप्रार्थी कम 1 ता 7 का प्रार्थना की मद नं0 में वर्णित आराजी अप्रार्थी कम 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज है व अप्रार्थी कम 2 ता 7 का 1/12 हिस्सा दर्ज है। जबकि अप्रार्थी कम 1 ता 7 का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा बनता है व अप्रार्थी कम 1 ता7 अपने हिस्सो 1/2 पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित पारिवारिक सजरा स्वीकार है। शेष अस्वीकार है। प्रार्थीगण के दादा गजानन्द व अप्रार्थी कम 1 के पिता व अप्रार्थी कम 2 ता 7 के दादा चतरा दोनो सगे भाई थै अप्रार्थी कम 1 ता 7 का बराबर 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। जबकि प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियो से मिलिभगत करके अपना हिस्सा उक्त आराजी में 3/4 हिस्सा दर्ज करवा दिया व अप्रार्थी कम 1 का 1/6 व अप्रार्थी कम 2 ता 7 का 1/12 हिस्सा दर्ज करवा दिया है। जिसको सही करवाने के अप्रार्थी कम 1 ता 8 कानूनन अधिकारी है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है।
4. यहकि प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। अप्रार्थी कम 1 ता का फोती नामान्तरण चतरा के वारिस होने के नाते उक्त आराजी में अप्रार्थीगण 1 ता 7 के खातेदारी में दर्ज हुई है जो कि अप्रार्थीगण 1 ता 7 की पुश्तैनी आराजी है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। अप्रार्थी कम 1 ता 7 प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में विर्णत आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार है व रिकार्डेड सह खातेदार होने के नाते अप्रार्थी कम 1 ता 7 अपने हिस्से की आराजी को रहन व बैचान करने का भी अधिकार प्राप्त है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 6 ता 9 अस्वीकार है।

जवाब प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थीगण कम 1 ता 7 द्वारा विशेष कथन व काउन्टर प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

1. यह कि प्रार्थना में वर्णित आराजी माल सीसवाली खाता संख्या 90 खसरा नं0 4957 रकबा 1.67 है0, खसरा नं0 4997 रकबा 1.57 है0, खसरा नं0 5000 रकबा 0.90 है0 किता 3 रकबा 4.14 है0 में अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व अधिकारीयो से मिलीभगत करके अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/6 व अप्रार्थी कम 2 ता 7 का हिस्सा 1/12 दर्ज करवा दिया है जबकि उक्त आराजी में अप्रार्थी कम 1 ता 7 का हिस्सा 1/2 दर्ज होना चाहिए था।
2. यह कि अप्रार्थी कम 1 के पिता व अप्रार्थी कम 2 ता 7 के दादा चतरा व प्रार्थीगण के दादा गजानन्द दोनो सगे भाई थे। अप्रार्थीगण चतरा के जायज वारिस है। जिनका कि चतरा के

Scanned by CamScanner

जायज वारिस होने के नाते 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए । अप्रार्थीगण अपना हिस्सा 1/2 दर्ज करवाने के अधिकारी है।

3. प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की आराजी को जबरदस्ती हडपना चाहते है। आयेदिन अप्रार्थीगणो के साथ लडाई–झगडा व मारमीट करने पर आमदा होते रहते है।
4. यह कि अप्रार्थी कम 1 ता 7 प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी रिकार्डेड सहखातेदार है। अप्रार्थीगण कम 1 ता 7 की पुश्तैनी आराजी है। जो कि अप्रार्थीगण को विरासत से प्राप्त हुई है।
5. यह कि ग्राम सीसवाली की खाता संख्या 90 किता 3 रकबा 4.14 है0. पर वाद के निस्तारण तक तहसीलदार मांगरोल को रिसीवर नियुक्त करवाये जाने के अप्रार्थी कम 1 ता 7 अधिकारी है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज करवाया जाकर तहसीलदार मांगरोल को ग्राम सीसवाली की खाता संख्या 90 किता 3 रकबा 4.14 है0 का रिसीवर नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थीगण को काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये किन्तु प्रार्थीगण द्वारा जवाब उल जवाब पेश नही किया गया।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। बहस में वकील पक्षकारान द्वारा उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को रहन–बेचान करने से रोकने हेतु अप्रार्थी कम 1 ता 7 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। प्रथम दृष्टया विवादित आराजी जो कि पैतृक व पुश्तैनी आराजी है, में प्रार्थीगण के हक अधिकार निहित है क्योकि प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 अनुसार अप्रार्थी कम 1 के पिता स्व0 चतरा को उनके काका रामचन्द्र ने गोद रख लिया था। स्व0 चतरा ने स्वयं की इच्छा से ग्राम सीसवाली की आराजी में हिस्सा छोड कर ग्राम खुराड की चल एवं अचल संम्पत्ति में हिस्सा ग्रहण किया। प्रार्थीगण के विवादित आराजियात में हक अधिकार की घोषणा मूल वाद मे तय की जायेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के रहन बेचान करने पर न केवल प्रार्थी को पैतृक संपत्ति से वंचित होना पडेगा अपितु अनावश्यक वादकरण भी बढेगा। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूर्णनीय क्षति** : यदि अप्रार्थीगण कम 1 ता 7 द्वारा भूमि का रहन–बेचान, हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रार्थी को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकारान, लग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण कम 1 ता 7 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण कम 1 ता 7 खाता खाता संख्या 90 हाल खसरा नं0 4957 रकबा 1.67 हे0, खसरा नं0 4997 रकबा 1.57 हे0, खसरा नं0 5000 रकबा 0.90 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.14 हे0 आराजी ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल भूमि का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न करे, ना ही ऐसा अपने प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

Scanned by CamScanner